रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

SECRETARIAT LIB. GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1980/माघ 30, 1901

No. 65] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1980/MAGHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1980

का०आ० 102(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी स्तम्भ (2) में यथावर्णित वस्त्रों के अनुसूचित उद्योगों में सम्पूर्णतः या अंशतः पटसन में विनिर्मित या उत्पादित उस माल के वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर, 1 मार्च, 1980 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा ।

सारणी

क्र०सं०	मालों के वर्गों का वर्णन	प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क की दर
1	2	3
1.	गलीचा अस्तर	10.00 रु० (केवल दस रुपये)
2.	बोरों, गलीचा अस्तर और सूती बोरा वस्त्र से भिन्न वैसियत और पटसन के कपड़े ।	9.00 रु० (केवल नौ रुपये)
3.	बोरे	6.25 रु० (केवल छह रुपये पच्चीस पैसे)
4.	तन्तु	6.25 रु० (केवल छह रुपये पच्चीस पैसे)
5.	रज्जु	3.75 रु० (केवल तीन रुपये पचहत्तर पैसे)
6.	सूती बोरा कपड़ा	2.50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे)
7.	ऐसे विनिर्माण (उनसे भिन्न जो ऊपर क्रम सं० 1 से 6 में विनिर्दिष्ट हैं) जिनमें पटसन की मात्रा कुल भार का 50 प्रतिशत या अधिक हो ।	6.25 रु० (केवल छह रुपये पच्चीस पैसे)

[फा० सं० 14/20/79-जूट]

एस० के० सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1980

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies the classes of goods manufactured or produced wholly or in part of jute in the scheduled industry of textiles as mentioned in column (2) of the Table below on which a

duty of excise shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act for a period of one year commencing on the 1st March, 1980 at such rates as are specified in the corresponding enrty in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description of class of goods	Rates of duty of excise per tonne
1	2	3
1.	Carpet backing	Rs. 10.00 (Rupees ten only)
2.	Hessian and jute fabrics other than sacking, carpet backing and cotton bagging.	Rs. 9.00 (Rupees nine only)
3.	Sacking	Rs. 6.25 (Rupees six and paise twenty-five only)
4.	Yarn	Rs. 6.25 (Rupees six and paise twenty-five only)
5.	Twine	Rs. 3.75 (Rupees three and paise seventy-five only)
6.	Cotton bagging	Rs 2.50 (Rupees two and paise fifty only)
7.	The manufactures (other than those specified at serial number 1 to 6 above) containing 50 per cent or more of jute by weight.	Rs. 6.25 (Rupees six and paise twenty-five only)

[F. No. 14/20/79-JUTE]

S. K. SARKAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980